श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार के आमों में शुगर कंटेंट दिखाकर साजिश के तहत...।

श्री सभापति : साजिश नहीं होती है हर चीज में।

श्री लालू प्रसाद : यहां के आम को बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। यह रोक आपने लगाई है। महोदय, यह बात मैं पूछ रहा हूं।

श्री अरुण जेटली : सभापति जी, जब विदेशों के अंदर माल बेचते हैं जो खरीददार देश होता है उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से ....(**व्यवधान**)....

श्री लालू प्रसाद : क्या हमारे यहां का आम घटिया है ?

श्री अरुण जेटली : स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने प्रोडक्ट को हम लोग बदलने का कई बार प्रयास भी करते हैं। इसके लिए रिसर्च देशभर में होती है और किसानों को सलाह भी देते हैं।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : मैंने आपके लिए पूछा था लेकिन आपने बीच में इंटरेप्ट कर दिया।

श्री लालू प्रसाद : सर, उत्तर प्रदेश का दशहरी और पटना का दुधिया, माल्दा और आम्रपाली। इसके बारे में तो अपनी सरकार साजिश कर रही है। ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : आप साजिश शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। इसमें साजिश कोई नहीं होती है।

कैंसर बीमा योजना

*611. **श्रीमती सविता शारदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है कि हर किसी व्यक्ति के लिए अपना इलाज करवाना सम्भव नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को देखते हुए सरकार का क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के माध्यम से कैंसर बीमा योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए कैंसर के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना विभिन्न राज्य सरकारों का कार्य है। 1975 में शुरू किया गया और

1984-85 में संशोधित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार कैंसर का शुरू में ही पता लगाने, उसका निदान और इसके उपचार से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था करने में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अपर्याप्त कैंसर चिकित्सा संबंधी सुविधाओं और उनके असमान वितरण की समस्या को दूर करना है जिससे देश भर में जरूरतमंदों को नि:शुल्क अथवा नाम मात्र की लागत पर कैंसर के उपचार की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में है (नीचे देखिए)।

सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अतिरिक्त राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां निर्धन रोगियों को उपचार नि:शुल्क अथवा नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन रोगी राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि (जिसे अब राष्ट्रीय अरोग्य निधि के नाम से जाना जाता है) से भी वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इस निधि को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चला रहा है।

इस समय क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के माध्यम से कैंसर बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ऑन्कोलाजी विंग का विकास

यह स्कीम देश में कैंसर की पहचान और उपचार में भौगोलिक अन्तर को समाप्त करने के लिए केवल सरकारी मेडिकल कालेजों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसी संस्थान को कोबाल्ट मशीन, ब्रेचीथिरेपी जैसे उपस्कर खरीदने के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना

सरकारी संस्थाओं में कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 1.50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गैर सरकारी संगठनों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट के लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत मेमोग्राफी उपस्कर को भी शामिल किया गया है। उन संस्थानों/संगठनों जिनके पास कैंसर रोगियों के उपचार के लिए

सुविधाएं और सुसज्जित रेडियोथिरेपी विभाग हैं, को 30.00 लाख रुपए तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा, पहचान और दर्द निवारक उपायों के लिए वर्ष 1990-91 में जिला परियोजना (अवधि पांच वर्ष) हेतु एक स्कीम आरम्भ की गई थी। इस स्कीम में, परियोजना अवधि के बाकी चार वर्षों के लिए प्रत्येक जिले हेतु 10.00 लाख रुपए प्रति वर्ष के प्रावधान के साथ प्रत्येक चुनिंदा जिले हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को 15.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पांच वर्षों के बाद, इस परियोजना का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा कर लिया जाता है।

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार की विशेष सिफारिशों पर कैंसर में स्वास्थ्य शिक्षा और शीघ्र पहचान कार्यकलाप चलाने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को 5.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ही दी जाती है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली हेतु वित्त पोषण का अलग पैटर्न है। बाकी के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को 75.00 लाख रुपए सालाना का भुगतान किया जाता है। ये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कैंसर के क्षेत्र में उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान करते हैं।

Cancer Insurance Scheme

†*611. SHRIMATI SAVITA SHARDA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the treatment of cancer is so expensive that it is not possible for everyone to get the treatment;

(b) if so, whether in view of this fact Government have any proposal to introduce Cancer Insurance Scheme through Regional Cancer Centres; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

Health being a state subject, it is for various State Governments to ensure provision of adequate facilities for treatment of cancer. The Government of India is augmenting the State Governments' efforts in provision of early detection, diagnosis and treatment facilities for cancer under various components of National Cancer Control Programme (NCCP) which was initiated in 1975 and revised in 1984-85. The emphasis of this programme is to address the problem of inadequate and unevenly distributed cancer therapy facilities in the country and thereby ensure easy access to cancer treatment facilities either free or at nominal cost to the needy all over the country. Details of various schemes implemented under the National Cancer Control Programme are annexed as Statement-I (*See* below).

Besides Government run hospitals and Medical College hospitals, 20 Regional Cancer Centres have been set up under NCCP where treatment to poor patients is available either free or at nominal cost. Poor patients living below poverty line can also avail of financial assistance from National Illness Assistance Fund (NIAF) now known as Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) being operated by the Ministry of Health and Family Welfare.

At present there is no proposal to introduce Cancer Insurance Scheme through Regional Cancer Centres.

Statement-I

National Cancer Control Programme

Development of Oncology Wing in Medical College Hospital

This scheme is available only for Government Medical Colleges to fill up the geographical gaps in the detection and treatment of cancer in the country. Financial assistance up to Rs. 2.00 crores is provided to an Institute under the scheme for purchase of equipments like Cobalt Machine, Brachytherapy etc. This is a one-time grant.

Setting up of Cobalt Therapy Unit

Financial assistance up to Rs. 1.50 crore is provided to State Government for setting up of Cobalt Therapy Unit in Government Institutions.

An amount of Rs. 1.00 crore is provided for Cobalt Therapy Unit to the Non-Governmental Organisations.

The Mammography equipment has also been included under the scheme for setting up of Cobalt Therapy Unit. A Central Assistance up to Rs. 30.00 lakhs is provided to those Institutions/Organisations who have the facilities for treatment of cancer patients and has well-equipped Radiotherapy Department. All these are one-time grant.

District Cancer Control Programme

A scheme of district project (duration-five years) for health education, detection and pain relief measures under National Cancer Control Programme was initiated during the year 1990-91. In this scheme, financial assistance of Rs. 15.00 lakhs is provided to the State Government/UT administration for each district selected under the scheme with a provision of Rs. 10.00 lakhs per annum for each district for the remaining four years of the project period. After five years, the project is to be taken over by the State Government.

Financial Assistance to Registered Voluntary Organisations

Under the schemes, assistance upto Rs. 5.00 lakhs is provided to the Voluntary organistions for undertaking health edcuction and early detection activities in cancer on the specific recommendations of the State Government.

Regional Cancer Centers

This Ministry has recognised 20 Regional Cancer Centres in different States/ UTs. The Chittaranjan National Cancer Institutes, Kolkata and Institute Rotary Cancer Hospital (IRCH), AIIMS, New Delhi have got a different funding pattern. Remaining RCCs are paid an amount of 75.00 lakhs annually. These RCCs extend treatment facilities and conduct research in the field of Cancer.

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन गुटका, पान मसाला, तम्बाकू के सेवन से आज देश में कैंसर रोगियों की संख्या लाखों में है। इस जानलेवा बीमारी का इलाज इतना महंगा है कि साधारण आदमी अपना इलाज कराने में असमर्थ है। प्रतिवर्ष हजारों रोगियों का अपना इलाज न करवाने के कारण अकाल मृत्यु का कारण बनना पड़ता है। यदि उनका इलाज उचित रूप से होता है और आसान हो जाता है तो मुझे लगता है कि उनका जीवन जीने योग्य हो जायेगा। सरकार को कैंसर रोग में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना चाहिए।

श्री सभापति: आपको उत्तर चाहिए?

श्रीमती सविता शारदा: सर, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट के अंदर क्वेश्चन ऑवर खत्म हो जायेगा।

श्रीमती सविता शारदा: सर, मेरा प्रश्न है कि सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए गये है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान उन केन्द्रों द्वारा कितने कैंसर रोगियों का उपचार किया गया है ?

SHRI A. RAJA : Sir, the hon. Member rightly submitted that there are 20 Regional Cancer Centres all over the country. If you permit me, I will read out the names of places where these centres are located; otherwise, I will send a copy of that to the hon. Member (*interruptions*)

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, यह मेरा थोड़ा प्राईवेट क्वेश्चन है। अभी जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह खतरनाक बीमारियां चल रही हैं, उनके लिए भी क्या सरकार के पास कोई सहायता निधि है कि महिलाओं को उसके अंतर्गत लिया जाये ? मेरा मंत्री महोदय से एक छोटा सा प्रश्न और है। मैंने अभी उनको एक प्रोजेक्ट दिया था जिसको रोटरी वाले चला रहे हैं। वह फ्री ऑफ चार्ज है । लेकिन अब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह पूंछना चाहती हूं कि मैंने जो फाइल उनको दी थी, क्या वे उसके ऊपर कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सभापति: ठीक है। Question Hour is over.

Written Answers to Starred Questions

EU standards on import of food products

*603. SHRI EKANATH K. THAKUR : Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the sanitary and phyto sanitary standards imposed by the European Union (EU) on import of food products from India are going to continue in future; and

(b) if so, the steps Government are taking to institutionalize these standards?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY) : (a) Yes, Sir. Under the WTO agreement on Sanitary and Phyto Sanitary (SPS) Measures, member countries including EU have the right to set their own SPS standards and allow only such imports as conform to them.

(b) Government has set national SPS standards for export of many products incorporating some of the international standards and standards set by our